



शुष्क वन अनुसंधान संस्थान  
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्,  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था)  
डाकघर : कृषि उपज मण्डी, न्यू पाली रोड, जोधपुर - 342005



**ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE**

Indian Council of Forestry Research & Education,

(An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)

P.O. Krishi upaz Mandi, New Pali Road, Jodhpur- 342005

क्रमांक-1803/शुवअसं/भंडार/18(89)7/2022

दिनांक: 1/मार्च, 2022

सेवा में

.....  
.....  
.....

विषय:- परिचय पत्र बनाने के कोटेशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि निम्न सामग्री/कार्य हेतु पीछे दी हुई शर्तों के अधीन निदेशक को संबोधित करते हुए मुहरबंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। विषय लिखा हुआ लिफाफा इस कार्यालय में दिनांक 28.03.2022 को कोटेशन खुलने तक प्राप्त हो जाना चाहिये। नियत दिनांक 28.03.2022 को 4.00 बजे प्राप्त कोटेशन खोले जायेंगे। अगर आप इच्छुक हों तो कोटेशन खुलने के समय स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं।


क्र.सं.	सामग्री/कार्य का विवरण तथा विशिष्टियाँ	अनुमानित मात्रा
1	Purchase/making of Identity Cards	100 नग

नोट:-

1. लिफाफे पर "परिचय पत्र बनाने के कोटेशन" अवश्य लिखे।
2. कोटेशन देने से पहले भंडार अनुभाग से जानकारी एवं बनाये जा रहे परिचय पत्र के नमूने की जांच कर ले।
3. आपके कोटेशन द्वारा प्रस्तुत दर एक साल के लिए मान्य होगी।
4. कार्यालय द्वारा 1 या अधिक परिचय पत्र बनवाने का प्रारूप देने हेतु आपको सूचित करने के बाद उसी दिन या अगले दिन कार्यालय आकर प्रारूप प्राप्त करना होगा एवं प्राप्त करने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर परिचय पत्र बना कर कार्यालय में जमा करवाया जाना होगा।
5. कायदेश की तिथि से प्रत्येक तीन माह में बनाये गये कुल परिचय पत्र का विपत्र भंडार अनुभाग को प्रस्तुत करना होगा। जिसका भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा।

6. कोटेशन लैटर हैड पर ही दे। लैटर हैड नहीं होने की दशा में सादे पेपर पर भी कोटेशन दिया जा सकता है। सादा पेपर पर फर्म के पते की पूरी मोहर लगाया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त दोनों पर कोटेशन देने पर ही आपका कोटेशन स्वीकार किया जायेगा।
7. कोटेशन में दी गई दरों में काट-छांट होने पर अपने हस्ताक्षर करें।
8. अनुमानित मात्रा एक वर्ष के लिए है। मात्रा अधिक एवं कम भी हो सकती है।
9. कोटेशन में फर्म की जी.एस.टी का नम्बर एवं दर का स्पष्ट किया जाना होगा। फर्म का जी.एस.टी.नम्बर होना अनिवार्य है।
10. आपूर्ति आदेश में दर्शायी गई सामग्री/कार्य नियत समयावधि में संतोषजनक रूप से आपूर्ति होने/कार्य होने के पश्चात भुगतान किया जाएगा।
11. कोई भी सामग्री मैड इन चार्जना का नहीं होनी चाहिए।
12. कोटेशन का विवरण हमारी वेब साइट- <https://afri.icfre.org> पर भी उपलब्ध है।
13. अधिक जानकारी के संबंध में भंडार अधिकारी से सम्पर्क करें। पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कोटेशन प्रस्तुत करें।

भवदीय,

  
11/3/2022  
(मनोज चौहान)  
कय अधिकारी

प्रतिलिपि:- कोटेशन खोलने हेतु नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का श्रम करें:

1. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लेखा अनुभाग, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।
2. भंडार अधिकारी द्वारा: प्रभागाध्यक्ष, सुविधा एवं सेवा प्रभाग, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, सुविधा एवं सेवा प्रभाग, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- आपसे अनुरोध है कि यह कोटेशन आमंत्रण पत्र सूचना को वेब साइट पर देने का श्रम करें।
4. सूचना पट्ट